न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 39/09 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- 1. बुधराम पुत्र पुरू जाति यादव निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------ वादी अपीलांट

बनाम

1 रामावतार पुत्र सम्पतराम जाति यादव
2 कंवरसिंह पुत्र सम्पतराम जाति यादव
3 कैलाश पुत्र सम्पतराम जाति यादव निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,बहरोड दिनांक 24.2.2009

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री दाताराम यादव

निर्णय   दिनांक 18.10.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2007 बाबत इस्तकरारहक व हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2009 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर गत 29 रकबा 2 बीघा

18/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

14 बिस्वा हाल नम्बर 43 रकबा 66 एयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बहरोड पर वादीगण का करीब 50 सालों से कब्जा प्रतिवादीगण के पिता सम्पत की जानकारी में चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने कब्जा वापिस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिये वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 आज दिनांक 18.10.2019 को पत्रावली प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया तो पाया कि अपीलांट को रेस्पो0 की तलबी हेतु सम्मन पेश करने के काफी अवसर प्रदान किये जा चुके हैं । आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में प्रावधान किया गया है कि जहां वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात 7 दिन तक नए समन के लिऐ आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद खारिज कर देना चाहिये । प्रस्तुत अपील प्रकरण में अपीलांट को समन पेश प्रस्तुत करने के काफी अवसर प्रदान किये जा चुके हैं, परन्तु उनके द्वारा आज तक नये समन भरकर प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रकार विदित है कि अपीलांट ने अदालत हाजा के आदेशों की पालना नहीं की है । लिहाजा अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में खारिज किये जाने योग्य है ।

4 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में खारिज की जाती है ।

5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner